



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 4095/अका./का.प./2024

रायपुर, दिनांक 21/08/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '90वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 21.08.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति —अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 1. डॉ. राजीव चौधरी | — सदस्य | 6. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा | — सदस्य |
| 2. डॉ. संजय जे. डहरवाल | — सदस्य | 7. डॉ. मेघेश तिवारी | — सदस्य |
| 3. डॉ. रोहिणी प्रसाद | — सदस्य | 8. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे | — सदस्य |
| 4. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | — सदस्य | 9. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज | — सदस्य |
| 5. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | — सदस्य | | |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव —सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.07.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 31 महाविद्यालयों को पूरक परीक्षा 2024 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 14,50,000.00 (रुपए चौदह लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

3. श्री खिलावन राम यादव, भृत्य, प्रेस के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 10,36,382.00 (रुपए दस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बयासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्रीमती मीना यादव, भृत्य, प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 10,23,089.00 (रुपए दस लाख तेईस हजार नवासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 4, बिन्दु क्रमांक 5, बिन्दु क्रमांक 10, बिन्दु क्रमांक 13, बिन्दु क्रमांक 15 व अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 1 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति पृथक चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जा के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 15/2024 पत्र क्रमांक 1766/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11.06.2024 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के छठवें एवं अंतिम किस्त के एरियर्स की राशि माह फरवरी-2018 से जून-2018 तक कुल राशि रुपए 42,47,060/- (रुपए बयालिस लाख सैंतालिस हजार साठ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

3. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स की राशि आयकर एवं अन्य कटौतियां सहित कुल राशि रु. 1,87,10,977/- (अक्षरी रूपये एक करोड़ सतासी लाख दस हजार नौ सौ सत्तहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. प्रकरण क्रमांक W.P.(S) 5143/2012 डॉ. पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर विरुद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के संबंध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 89वाँ बैठक दिनांक 19.07.2024 पूरक विषय सूची क्रमांक 6 में विश्वविद्यालय पत्रांक संख्या 103/Estb./Gen.Adm./2023 dated 06-09-2023 के स्थान पर पत्रांक संख्या 718/Estb./Gen.Adm./2017 dated 17-02-2017 संशोधन किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों की भर्ती/नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

- (1) विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा विज्ञापित 49 शैक्षणिक पदों में से **W.P.(S) 5143/2012** पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर v/s पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 20.02.2024 के परिपालन में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 89वाँ बैठक दिनांक 19.07.2024 में लिए गए निर्णयानुसार भूगोल विभाग के सह प्राध्यापक के लिए जारी उक्त विज्ञापन में 01 पद **OBC (BL)** को विलोपित/निरस्त कर शेष 48 में 12 शैक्षणिक पदों को जोड़कर उच्च शिक्षा विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक 1089/820/2024/38-2 दिनांक 23.07.2024 में प्रदत्त निर्देश के क्रम में प्रथम चरण में कुल 60 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अर्हता निर्धारण की तिथि मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।
- (2)
 - (i) बिन्दु क्रमांक (1) में उल्लेखित विज्ञापन में विज्ञापित 49 शैक्षणिक पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदकों के आवेदनों (भूगोल विषय को छोड़कर) को स्वीकार करते हुए उन्हें पुनः आवेदन करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
 - (ii) यदि पूर्व आवेदक पुनः आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें निःशुल्क आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई।
 - (iii) यदि पूर्व आवेदक अपने आवेदन में केवल शैक्षणिक उन्नयन से संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना चाहते हैं तो उसे निःशुल्क संलग्न करने की अनुमति प्रदान की गई।
 - (iv) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 82वाँ बैठक दिनांक 20.12.2023 के निर्णय क्रमांक 15 में लिये गये निर्णय के आलोक में बिन्दु क्रमांक (1) में उल्लेखित विज्ञापन के अंतर्गत जिन आवेदकों के आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने के कारण अथवा अन्य कारणों से निरस्त किये गये हैं उनकी कारण सहित सूची प्रकाशित करते हुए उन आवेदकों के कारण का निराकरण करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई।
- (3) विश्वविद्यालय की 78वीं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 में आरक्षण रोस्टर के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों के शैक्षणिक पद (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एवं असिस्टेंट प्रोफेसर) के कुल 60 पदों को विज्ञापित करने हेतु तैयार किये गये निम्न तालिका को विज्ञापित करने की अनुमति प्रदान की गई -

Table for Teaching post to be advertise :

No.	Name of the Department	Name, Number of Post & Category		
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1	Sociology	1 (ST BL)	1 (ST BL)	1 (UR)
2	History	1 (OBC)	1 (SC BL)	-
3	Ancient Indian History & Culture & Archeology	1 (ST)	1 (UR)	-
4	Computer Science	1 (ST)	1 (ST BL)	2 (ST BL, UR)
5	Lit & Language (Linguistics)	-	2 (ST BL, SC BL)	1 (SC BL) English
6	Economics	-	1 (ST BL)	-
7	Physics & Astrophysics	-	2 (ST BL)	-
8	Philosophy & Yoga	1 (UR)	1 (ST BL)	1 (ST BL)
9	Electronics & Photonics	-	1 (ST BL)	3 (ST BL, SC BL, SC)
10	Innovative Programme M.Tech. in Optoelectronics & Laser Technology	-	1 (SC)	1 (UR)
11	Bio-Science	-	1 (ST BL)	2 (UR, OBC)
12	MBA	-	1 (ST BL)	2 (UR, SC)
13	Bio-Technology	-	1 (ST BL)	-
14	Mathematics	-	1 (ST BL)	1 (SC BL)
15	Pharmacy	-	2 (SC BL, ST BL)	-
16	Anthropology	-	1 (ST BL)	-
17	Statistics	1 (SC)	-	1 (ST BL)
18	Library Information Science	-	1 (ST)	-
19	Law	1 (UR)	1 (UR)	2 (ST BL, OBC BL)
20	Regional Studies	1 (OBC)	-	-
21	Geology	-	-	2 (ST BL, OBC)
22	Centre for Basic Sciences	-	-	2 [Zoology (ST), Computer (UR)]
23	Hindi	1 (ST)	2 (ST, SC)	4 (UR, UR, OBC, ST)
24	Chemistry	1 (UR)		
25	Psychology		1 (UR)	
26	Environment Science		1 (UR)	
	Total	10	25	25

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् से 2 सदस्य एवं एक सदस्य विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड (APEB) से सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन हेतु निम्नानुसार नामांकन किया गया –

(1) कार्यपरिषद् से 2 सदस्य

I. प्रो. कल्लोल कुमार घोष, कार्यपरिषद् सदस्य

II. प्रो. एस.जे. डहरवाल, कार्यपरिषद् सदस्य

(2) विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड (APEB) से सदस्य प्रो. निनाद बोधनकर, आचार्य, भू-विज्ञान अध्ययनशाला

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE /2022/145) के अंतर्गत उपकरण OC EC Analyzer Equipment Installation पूर्व किये गए Lab Requisites एवं room preparation हेतु कुल राशि रु. 14,16,000=00 (रु. चौदह लाख सोलह हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE /2022/145) के अंतर्गत उपकरण OC EC Analyzer Equipment Installation पूर्व किये गए Lab Requisites एवं room preparation हेतु फर्म M/S MARS Bioanalytical Pvt. Ltd. New Delhi को कुल राशि (GST सहित) कुल राशि रु. 14,16,000=00 (रु. चौदह लाख सोलह हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
8. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण OC EC Analyzer Equipment हेतु कुल राशि रु. 98,69,992=00 (रु. अठानबे लाख उनहत्तर हजार नौ सौ बयानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण OC EC Analyzer Equipment हेतु फर्म, M/S MARS Bioanalytical Pvt- Ltd. New Delhi को कुल राशि रु. 98,69,992=00 (रु. अठानबे लाख उनहत्तर हजार नौ सौ बयानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
9. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत विदेश से आयातित उपकरण (Steady State Fluorescence Spectrophotometer) के कुल मूल्य का 90% एडवांस तथा 18% IGST इत्यादि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत विदेश से आयातित उपकरण (Steady State Fluorescence Spectrophotometer) के कुल मूल्य का 90% राशि (रु. 60,83,090=00; रु. साठ लाख तिरासी हजार नब्बे मात्र) अग्रिम के रूप में एडवांस तथा 18% IGST एवं agency charges इत्यादि की फर्म, M/S Horiba Instruments Inc, Knightsbridge Road, NJ, USA को किये गये कुल राशि रु. 11,20,000=00 (रु. ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
10. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत विदेश से आयातित उपकरण FTIR & Imaging Spectrometer के कुल मूल्य का 90% एडवांस तथा 18% IGST इत्यादि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत विदेश से आयातित उपकरण FTIR & Imaging Spectrometer के कुल मूल्य का 90% राशि (रु. 83,33,000=00; रु. तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) एडवांस तथा 18% IGST एवं Agency Charges इत्यादि की M/S Thermo Electron Scientific Instrument, LLC Verona Road, Madison, WI, USA को किये गये कुल राशि रु. 1603962=00 (रु. सोलह लाख तीस हजार नौ सौ बासठ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।



विधि अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर में 10 सीटें पेमेंट कोटा में प्रवेश अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही अगले सत्र से पेमेंट कोटा में शुल्क वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रेक्षागृह भवन के संचालन एवं आरक्षण के लिये नियम एवं दिशा-निर्देश के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रेक्षागृह भवन के संचालन एवं आरक्षण के लिये प्रस्तुत नियम/दिशा-निर्देश में आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई तथा निम्नांकित तालिका के संधारण शुल्क का अनुमोदन किया गया -

क्रमांक	विवरण	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों हेतु संधारण शुल्क (रुपये)	अन्य शासकीय विभाग/शासकीय संस्था हेतु निर्धारित संधारण शुल्क (रुपये)	निजी संस्थाओं/एन.जी.ओ. हेतु निर्धारित संधारण शुल्क (रुपये)
01	प्रेक्षागृह भवन (560 सीटर)	शून्य	40,000/-	75000/-

02. सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल के स्तरोन्नयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्यों की सहमति प्राप्त करते हुए कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार "Screening-Cum-Evaluation Committee" meeting under the Career Advancement Scheme (CAS) की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल के स्तरोन्नयन के संबंध में बंद लिफाफों को खोला गया -

क्र.	सहायक प्राध्यापक/सहायक ग्रंथपाल का नाम	पद नाम	अध्ययनशाला/विभाग का नाम	"Screening-Cum-Evaluation Committee" की बैठक की तिथि	स्तरोन्नयन दिनांक
1.	डॉ. अलेख साहू	सहायक प्राध्यापक	विधि अध्ययनशाला	07.08.2024	01.10.2017
2.	डॉ. वेणुधर रौतिया	सहायक प्राध्यापक	विधि अध्ययनशाला	07.08.2024	19.11.2022
3.	डॉ. पूर्णिमा कुमारी	सहायक ग्रंथपाल	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार	13.08.2024	21.11.2022

"Screening-Cum-Evaluation Committee" की संस्तुतियों के आधार पर उपर्युक्त सहायक प्राध्यापक/सहायक ग्रंथपाल का Level 11 से Level 12 (AGP 7000/- से AGP 8000/-) में उपरोक्तानुसार स्तरोन्नयन किये जाने का अनुमोदन किया गया।

03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के बिंदु क्रमांक 04 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में "Indian Knowledge System Center" की स्थापना की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा तत्संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में "Center for Indian Knowledge System" की स्थापना के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 में किये गये अनुशंसा का सहर्ष अनुमोदन किया गया।

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के बिंदु क्रमांक 05 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में खेल कौशल विकास अकादमी प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा तत्संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 से "Earn and Learn" माध्यम से "Center for Sports Skill Development" प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया। यह Center शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के एक घटक के रूप में संचालित किये जाने के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 में किये गये अनुशंसा का सहर्ष अनुमोदन किया गया।

05. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के बिंदु क्रमांक 10 में विश्वविद्यालय में संचालित National Centre for Natural Resources (NCNR) का नाम परिवर्तन कर Central Instrumentation Facility (CIF) करने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा तत्संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में संचालित National Centre for Natural Resources (NCNR) का नाम परिवर्तन के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 में किये गये निम्नलिखित अनुशंसा का सहर्ष अनुमोदन किया गया :-

- A. National Centre for Natural Resources (NCNR) का नाम परिवर्तन कर Central Instrumentation Facility (CIF) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- B. National Centre for Natural Resources (NCNR) के समस्त Instrument व परिसंपत्तियाँ Central Instrumentation Facility (CIF) के अंतर्गत समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- C. Central Instrumentation Facility (CIF) में Governing Body व Advisory Body में सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

06. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के बिंदु क्रमांक 13 में Draft Regulation - Unified Regulation for the Degree of Bachelor of Vocational (B.Voc.) (Fashion Design) की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा तत्संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से Regulation No. 215 - Unified Regulation for the Degree of Bachelor of Vocational (B.Voc.) (Fashion Design) के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 में किये गये अनुशंसा का सहर्ष अनुमोदन किया गया।

4


07. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के बिंदु क्रमांक 15 में अध्यादेश क्रमांक 4 एवं विनियम क्रमांक 134 में संशोधन की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।


निर्णय: कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा तत्संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 4 Qualifications & the condition of the appointments of the Teachers in University Teaching Departments and School of Studies में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना संख्या 468 दिनांक 30 जून, 2023 एवं विनियम क्रमांक 134 Selection Procedures & Scores for Academic Performance Indicators (APIs) in Recruitments and Career Advancement Scheme (CAS) Promotions of University/College Teachers में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना संख्या 535 दिनांक 31, जुलाई 2023 व अधिसूचना संख्या 405 दिनांक 06 जून, 2024 के अनुक्रम में संशोधन के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 में किये गये अनुशंसा का सहर्ष अनुमोदन किया गया।

08. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 के अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 1 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम "Professional Communication Skills प्रारंभ करने के प्रस्ताव की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा तत्संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम "Professional Communication Skills प्रारंभ करने के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.08.2024 में किये गये अनुशंसा का सहर्ष अनुमोदन किया गया। Placement Cell को उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में समस्त कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 4096/अका./का.प./2024

रायपुर, दिनांक 21/08/2024

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)